

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 04.10.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 8288 द्वारा अज्ञात मोटरसाईकिल द्वारा पैदल जा रहे व्यक्ति को टक्कर मारने पर दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 8288 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मोहद्वीपुर मोड़ से कालर द्वारा अज्ञात मोटरसाईकिल द्वारा पैदल जा रहे व्यक्ति को टक्कर मारने पर दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (01.रामचंदर पुत्र रामलिलत निवासी मोहद्वीपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 विवेक यादव, हो0चा0 सुरेन्द्र शर्मा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 264 वाहनों से 306,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 264 वाहनों से 306,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लकड़ी का मुगदर बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी मेहदावल श्री सर्व दवन सिंह व थानाध्यक्ष बेलहरकला श्री सर्वेश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थाना बेलहरकला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 294/2026 धारा 191(2),352,351(3),109(1),121(2),132 बीएनएस व धारा 26 भारतीय वन अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तगण 01. सदरे आलम 02. मो0 फारुख पुत्रगण हकीमुल्लाह निवासी जंगल दशहर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को उनके घर से गिरफ्तार कर मा0न्यायालय रवाना किया गया तथा अभियुक्तगण की निशानदेही पर 01 अदद लकड़ी का मुगदर बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

- 01. सदरे आलम पुत्र हकीमुल्लाह** निवासी जंगल दशहर थाना बेलहरकला, जनपद संतकबीरनगर, उम्र करीब 40 वर्ष ।
- 02. मो0 फारुख पुत्र हकीमुल्लाह**स निवासी जंगल दशहर थाना बेलहरकला, जनपद संतकबीरनगर, उम्र करीब 33 वर्ष ।

बरामदगी विवरण

01 अदद लकड़ी का मुगदर बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण— वादी श्री गोविन्द त्रिपाठी पुत्र मुक्तिनाथ त्रिपाठी वन विभाग मेंहदावल रेंज बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बेलहरकला पर दिनांक 03.10.2026 को ग्राम जंगल दशहर में रिजर्व फारेस्ट की लकड़ी के अवैध कटान की सूचना पर वादी मय टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा वन विभाग की टीम के साथ लाठी डण्डो से मारपीट करते हुए वादी को गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया तथा बचाव में आए अन्य कर्मचारियों पर भी हमला व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया । थाना बेलहरकला द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त अभियुक्तों को आज दिनांक 04.10.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम— व0उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कन्नौजिया, हे0का0 बृजेश पाण्डेय, का0 मनीष चन्द यादव, का0 संतोष चौहान, का0 ओमप्रकाश चौरसिया, का0 नीरज कुमार ।